बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–3/अ0प्र0–1–36/2018 67 /पटना, दिनांक :– 25.9.23

चूँकि विभाग को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री अनिल कुमार झा, तदेन लेखा लिपिक (रोकड़ प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 सम्प्रति वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डेहरी द्वारा कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 अन्तर्गत पदस्थापन काल में कार्य पूर्णता के पूर्व ही संवेदक को नियम विरूद्ध एस०डी० की राशि वापस करने संबंधी कार्रवाई, बिना सत्यापित एम०एन० फार्म प्राप्त किये रॉयल्टी की राशि वापस करने संबंधी वित्तीय अनियमितता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गयी है तथा रायेल्टी से संबंधित संचिका का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को नहीं सौंपी गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए विभाग ने आदेश दिया है कि श्री अनिल कुमार झा, तदेन लेखा लिपिक (रोकड़ प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 सम्प्रति वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डेहरी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री खलीकुज्जमा, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3 श्री अनिल कुमार झा, तदेन लेखा लिपिक (रोकड़ प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 सम्प्रति वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डेहरी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

(हस्ताक्षर) 25/9/23
(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–36/2018 2040 (7) /पटना, दिनांक :– 25.9.23

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री खलीकुज्जमा, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) कार्य दिवस के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा सम्पूर्ण कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 25/9/23
अभियंता प्रमुख

ione-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:-http://rwd.bih.nic.org,E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com&secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–36/2018 2040(7)/पटना, दिनांक :– 25.9.23

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री अनिल कुमार झा, तदेन लेखा लिपिक (रोकड़ प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 सम्प्रति वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डेहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–36/2018 2040 /पटना, दिनांक :– 25.9.23

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख